न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 65/2019 निर्णय दिनांक – 20.05.2019

गिरधारीलाल पिता जीवनलाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. उदयलाल पिता नन्दराम माली, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
2. बालुलाल पिता किशना माली, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
3. छोगालाल पिता दल्ला खटीक, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
4. भंवरलाल पिता दल्ला खटीक, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
5. भगवाना पिता रूपा चमार, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 148 की आराजी नं. 1675, 1999 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8400 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लसड़ावन की खाता संख्या 148 की आराजी नं. 1675, 1999 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8400 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 20.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 15:26:24 IST
Reason: SelfAttested